क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-37, अंक - 11 | जून 1-15, 2023 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

कर्नाटक विधानसभा का चुनाव-2023 :

बदलाव का भ्रम

2023 के मई में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव ऐसे समय पर हुए हैं, जब राज्य के मज़दूर और किसान अपने जीवन की हालतों में बदलाव के लिए तरस रहे हैं। इन चुनावों के परिणामस्वरूप कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा भाजपा की अगुवाई वाली सरकार को बदल दिया गया है। मीडिया में इसे बड़े बदलाव के रूप में पर पेश किया जा रहा है। हालांकि, ऐतिहासिक अनुभव से पता चलता है कि पूंजीपति वर्ग की एक पार्टी की जगह पर, दूसरी पार्टी को सरकार में लाने से मज़दूरों और किसानों के जीवन जीने या काम करने की हालतों में कोई गुणात्मक परिवर्तन नहीं होता है। यह केवल एक भ्रम पैदा करता है कि इस बदलाव से कुछ अच्छा होगा।

कर्नाटक को पूंजीवादी रूप से अपेक्षाकृत अधिक विकसित राज्य माना जाता है। कर्नाटक में औसत आय, सर्व हिन्द औसत आय से काफ़ी अधिक है। हालांकि, औसत बहुत अधिक अंतर को छुपाता है। हाल के दशकों में इजारेदार पूंजीपति, बड़े-बड़े खदान मालिक, बड़ी-बड़ी रियल एस्टेट की कंपनियां और अन्य शोषक, भ्रष्ट राजनेता और अधिकारी बहुत अमीर हो गए हैं। जबकि दूसरे ध्रुव पर मज़दूरों और किसानों के जीवन जीने के हालात साल दर साल बद से बदतर होते गए हैं।

अत्याधिक कुशल आईटी मज़दूरों सहित, राज्य में मज़दूरों की रातों की नींद इस चिंता में कटती है कि कहीं उन्हें नौकरी से न निकाल दिया जाए। नौकरी के बाज़ार में प्रवेश करने वाले नौजवान अपने रोज़गार की संभावनाओं को लेकर चिंतित हैं। स्नातक की डिग्री वालों को न्यूनतम मज़दूरी या उससे भी कम वेतन पर डिलीवरी मज़दूर और सेल्स गर्ल के रूप में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है।

कर्नाटक में स्थित रक्षा उत्पादन और अन्य भारी उद्योगों के निजीकरण को जल्द से जल्द रोकने के लिए औद्योगिक मज़दूर आंदोलन कर रहे हैं। श्रम क़ानूनों में पूंजीपतियों के समर्थन में किये जा रहे सुधारों के ख़िलाफ़ कई क्षेत्रों के मज़दूर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें नियमित नौकरियों को निश्चित अवधि के अनुबंधों से बदलना भी शामिल है।

किसान यूनियनें लाभकारी क़ीमतों पर अपनी फ़सलों की राज्य द्वारा ख़रीद की गारंटी की मांग कर रही हैं। हर पूंजीवादी पार्टी, जब विपक्ष में होती है तो वह किसानों की उस मांग को पूरा करने का वादा करती है। लेकिन जब वह सत्ता में आ जाती है, तो वही पार्टी अपने इस वादे के साथ विश्वासघात करती है, क्योंकि वे पार्टियां सभी उद्योगों के उदारीकरण के कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं – मतलब कि कृषि व्यापार से अधिकतम लाभ बनाने के लिए निजी निगमों को जगह देना।

किसी भी पूंजीवादी पार्टी के पास बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार की गंभीर समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। राज्य में कांग्रेस पार्टी और भाजपा के नेतृत्व वाली दोनों सरकारें विभिन्न जातियों और धार्मिक समूहों के लिए आरक्षित सरकारी नौकरियों के कोटे में हेरफेर कर रही हैं। वे विभिन्न जातियों और धार्मिक आस्थाओं के लोगों को सरकारी नौकरियों के लिए एक-दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ाना चाहती हैं, जबकि ये नौकरियां राज्य में उपलब्ध कुल नौकरियों का 3 प्रतिशत से भी कम हैं। बेरोज़गारी और अल्प-रोज़गार का कोई समाधान न होने के कारण, वे धर्म और जाति के आधार पर वोट बैंक की फ़सल काटने के लिए इस स्थिति का फ़ायदा उठाती हैं।

कर्नाटक में हुये चुनाव अभियानों में एक बार फिर से देखा गया कि बड़े पैमाने पर हुई रैलियों पर और प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के प्रचार पर भारी मात्रा में पैसा खर्च किया गया है। कर्नाटक की अन्य सभी पार्टियों ने कुल मिलाकर जितना पैसा खर्च किया है, भाजपा और कांग्रेस पार्टी दोनों ने उससे कहीं अधिक पैसा खर्च किया है। उन दोनों के अभियानों को राज्य के पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों के साथ-साथ हिन्दोस्तान के सबसे बड़े इजारेदार पूंजीपतियों और कर्नाटक में मौजूद विदेशी कंपनियों द्वारा धन दिया गया।

इजारेदार पूंजीपति अपने धनबल का और मीडिया पर अपने नियंत्रण का इस्तेमाल करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी पसंदीदा पार्टी

शेष पृष्ठ 3 पर

विरोध कर रहे पहलवानों और उनके समर्थकों पर क्रूर हमला

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

"जिस लोकतंत्र का हमारे शासक इतना ढिंढोरा पीटते हैं, जिसके प्रतीक – नया संसद भवन – का इस समय उद्घाटन किया जा रहा है, यह बड़े पूंजीपतियों के लिए लोकतंत्र है। संसद में बैठे लोग खुलेआम बड़े पूंजीपतियों के हितों की सेवा करते हैं, जबकि हमारी महिलाओं और सभी लोगों की न्याय के लिए आवाज़ को क्रूरता से कुचला जा रहा है ...", पुरोगामी महिला संगठन की एक कार्यकर्ता ने 28 मई को, पहलवानों के संघर्ष के समर्थन में कई संगठनों द्वारा किये गए एक बड़े विरोध प्रदर्शन में कहा।

28 मई को राजधानी में जब नए संसद भवन का उद्घाटन किया जा रहा था, तो उसी समय दिल्ली पुलिस ने बीते एक महीने से अधिक समय से नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध कर रहे पहलवानों पर क्रूर हमला किया। ये पहलवान भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख के ख़िलाफ़, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के लिए, कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।

दिल्ली और देश के अन्य भागों से महिला संगठनों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों, मज़दूर संगठनों और युवा संगठनों ने 28 मई को नए संसद भवन के सामने 'महिला सम्मान महापंचायत' में इकट्ठा होने की योजना बनाई थी। 'महिला सम्मान महापंचायत' का आयोजन पहलवानों के संघर्ष के लिए समर्थन जुटाने और महिलाओं पर बढ़ती हिंसा तथा मज़दूरों, किसानों, महिलाओं और नौजवानों के अधिकारों पर चौतरफा हमलों पर रोशनी डालने के लिए किया गया था।

27 मई की आधी रात से सुरक्षा बलों की भारी तैनाती के बीच, दिल्ली की सीमाओं को सील कर दिया गया था और भारी बैरिकेडिंग कर दी गई थी। दिल्ली के बाहर से कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले किसान संगठनों, मज़दूर संगठनों और महिला संगठनों को राजधानी में प्रवेश करने से रोक दिया गया था।

जंतर-मंतर के चारों ओर भारी सुरक्षा घेरा बनाया गया था। 28 मई की सुबह से ही, पहलवानों के विरोध स्थल की ओर जाने वाली सभी सड़कों पर पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स (आर.ए.एफ.) की भारी तैनाती के साथ बैरिकेड्स लगा दिए गए थे। किसी को भी जंतर-मंतर की ओर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। 'महिला सम्मान महापंचायत' कार्यक्रम को सफलता से संपन्न होने से रोकने के लिए, अधिकारियों ने दिल्ली के महिला संगठनों की कई प्रमुख कार्यकर्ताओं को सुबह धरना स्थल की ओर जाते समय ही गिरफ़्तार कर लिया था। उन्हें जबरन पुलिस वैन में धकेल दिया गया, दिल्ली के विभिन्न पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया और दिन भर हिरासत में रखा गया।

पत्रकारों और मीडियाकर्मियों को जंतर-मंतर पर जाने से रोका गया और कुछ बेरिकेड्स पर उन पर हमला भी किया गया।

जैसे ही विरोध करने वाले पहलवानों ने 'महिला सम्मान महापंचायत' के स्थल की ओर मार्च करना शुरू किया, वैसे ही पुलिस ने उन पर बेरहमी से हमला किया, उन्हें ज़मीन पर गिरा दिया और पीटा। इसके बाद पहलवानों और उनके समर्थकों को पुलिस वैन में बिठाया गया और शहर के दूर-दराज़ इलाकों में विभिन्न स्थानों पर पुलिस थानों में ले जाया गया, जहां उन्हें पूरे दिन हिरासत

शेष पृष्ठ 6 पर

अंदर पढ़ें

- गिग मज़दूर : बढ़ता हुआ पूंजीवादी शोषण 2
- महाराष्ट्र में रिफाइनरी का विरोध 4
- पाठकों की प्रतिक्रिया 4
- पहलवानों के समर्थन में –
  - महिला संगठनों ने न्याय की मांग की 5
  - ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन 5
  - इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट-ब्रिटेन) का बयान 5

गिग मज़दूर : तीव्र पूंजीवादी शोषण

ब्लिंकिट के डिलीवरी मज़दूरों ने इस साल के अप्रैल महीने में, प्रति डिलीवरी पर किये गए वेतन में कटौती को लेकर जो हड़ताल की थी, जिससे गिग मज़दूरों की हालतों और समस्याओं का मुद्दा फिर से उभर कर आगे आया है।

"गिग" (गेट इट गोइंग) शब्द एक ऐसा आम बोलचाल वाला शब्द है जिसका मतलब है – किसी निर्धारित समय के लिए नौकरी। परंपरागत रूप से इस शब्द का इस्तेमाल, संगीतकार या सांस्कृतिक कलाकार, किसी कार्यक्रम के लिए किसी संस्थान के साथ किये गये किसी विशेष अनुबंध के सन्दर्भ में करते थे।

गिग मज़दूर एक नयी कार्य प्रणाली के अनुसार काम करता है और अपनी रोज़ी–रोटी कमाता है, जो फ़ैक्ट्री मालिक और मज़दूर की परंपरागत व्यवस्था से भिन्न है। चूंकि इन मज़दूरों से काम करवाने वाले संस्थान ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफार्म के ज़रिये उनसे संपर्क करते हैं, इसलिए उन्हें प्लेटफॉर्म–वर्कर्स के नाम से भी जाना जाता है। "गिग इकॉनमी" के अन्दर कंपनी के मालिक, यानी जो मज़दूरों की सेवाओं को अनुबंधित करते हैं, और साथ ही, उनके लिए काम करने वाले मज़दूर, दोनों शामिल हैं।

गिग–इकॉनमी हाल के वर्षों में, हिन्दोस्तान में अर्थव्यवस्था के अधिक से अधिक क्षेत्रों में तेज़ी से विस्तार कर रही है। गिग इकॉनमी में, काम करने वाले मज़दूरों की कुल संख्या के साथ–साथ, इसमें किये जाने वाले कार्यों की विविधता भी बढ़ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस समय हिन्दोस्तान में 1.5 करोड़ से अधिक गिग–वर्कर्स हैं। इनमें से अनुमानित 99 लाख डिलीवरी–सेवाओं में लगे हैं। 2022 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, लगभग 2.35 करोड़ मज़दूर 2029 तक, गिग–इकॉनमी में काम कर रहे होंगे।

डिलीवरी सेवाओं में लगी कई कंपनियां सबसे बड़े हिन्दोस्तानी इजारेदार पूंजीपतियों के धन से समर्थित हैं, जैसे कि बिग–बास्केट टाटा–ग्रुप से और डंज़ो मुकेश अंबानी के रिलायंस ग्रुप से।

अमेज़न और वॉलमार्ट (फ्लिपकार्ट का मालिक है) जैसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी, बड़ी संख्या में डिलीवरी मज़दूरों की सेवाओं का इस्तेमाल करती हैं।

इस समय गिग मज़दूरों की श्रेणी में, फ्रीलांस वर्कर्स, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स, प्रोजेक्ट–बेस्ड वर्कर्स और फिक्स्ड–टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पर लिए गए अस्थायी या पार्ट–टाइम मज़दूर शामिल हैं। इनमें उबर जैसे कैब–एग्रीगेटर कंपनियों द्वारा नियोजित ड्राइवर, डिलीवरी–वर्कर्स, फ्रीलांस पत्रकार, लेखक और संपादक, कलाकार, कंसल्टेंट्स, डिज़ाइनर्स और ऑनलाइन डिजिटल पीस–वर्कर्स भी शामिल हैं। उबर, एयरबीएनबी, सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों, दोनों में नियमित रोज़गार की कमी है।

हाल के वर्षों में, 60,000 से 80,000 रुपये प्रति माह या उससे अधिक कमाने वाले कुशल मज़दूरों की बड़ी संख्या को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है, क्योंकि कंपनियां बंद हो गयी हैं या उनमें मज़दूरों की भारी छंटनी की गयी है। कोविड–19 के लॉकडाउन ने इस प्रक्रिया को और भी तेज़ कर दिया था। ये मज़दूर अब अपने परिवारों को बर्बाद होने से बचाने के लिए, गिग इकॉनमी में महज 12,000 से 15,000 रुपये प्रति माह के वेतन पर काम करने के लिए मजबूर हैं।

अर्बन कंपनी, स्विगी, ज़ोमैटो, डंज़ो आदि जैसे टेक–प्लेटफॉर्म द्वारा यात्रा, होटल, आवास, घर की मरम्मत और रखरखाव, भोजन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी, आदि जैसी कई सेवाएं प्रदान करने के लिए गिग मज़दूरों का इस्तेमाल किया जाता है। ज्ञान की लेनदेन से जुड़ी सेवाओं पर केंद्रित कई विशिष्ट गिग–प्लेटफॉर्म भी बनाये गए हैं, जो ग्राहकों को अलग–अलग वैज्ञानिकों, तकनीकी विशेषज्ञों, प्रबंधन–सलाहकारों (मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स) आदि की सेवाओं को प्राप्त करने में सक्षम बनाते हैं।

गिग इकॉनमी के विस्तार के पीछे कारण

गिग इकॉनमी में बड़ी संख्या में युवाओं के शामिल होने के पीछे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण, बढ़ती बेरोज़गारी और बढ़ते ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल, हाई स्पीड कंप्यूटेशन सिस्टम और आधुनिकतम तकनीकों के साथ, पूंजीपति मालिक अपने काम के लिए आवश्यक स्थायी मज़दूरों की संख्या को घटा रहे हैं और बड़े पैमाने पर मज़दूरों की छंटनी कर रहे हैं। इस तरह वे उत्पादन की लागत में कटौती कर रहे हैं और अपने मुनाफ़े बढ़ा रहे हैं। उद्योग के साथ–साथ, सेवाओं में भी नियमित रोज़गार मिलने की संभावनाएं बहुत कम होती जा रही हैं।

आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से काम को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से तेज़ी से और दूर से किया जा सकता है, जिसके लिए निश्चित संख्या में मज़दूरों को निश्चित स्थान पर, निश्चित समय के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगकर्ताओं के लिए आसान, आधुनिक डिजिटल तकनीकों के विकास की वजह से, कुछ हद तक बुनियादी शिक्षा प्राप्त नौजवान, बड़ी संख्या में गिग मज़दूरों की श्रेणी में, ख़ासकर माल डिलीवरी, कैब चलाने आदि जैसी सेवाओं में शामिल होने में सक्षम हो गए हैं।

बढ़ता पूंजीवादी शोषण

गिग इकॉनमी के मज़दूरों को, हिन्दोस्तान के श्रम–क़ानूनों के अनुसार, मज़दूर नहीं माना जाता है। पूंजीपति जो इन मज़दूरों के श्रम का शोषण करके खुद की तिजौरियां भर रहे हैं, वे जानबूझकर इन मज़दूरों को "डिलीवरी पार्टनर", "डिलीवरी एग्जीक्यूटिव" आदि जैसे नाम देते हैं। यह गिग इकॉनमी के अन्दर मालिकों और मज़दूरों के बीच के वास्तविक शोषक, पूंजीवादी चरित्र को छिपाने के लिए किया जाता है। **(देखिये बाक्स–1 : गिग मज़दूरों के पास कोई क़ानूनी अधिकार नहीं हैं)**

गिग इकॉनमी में पूंजीपति अपनी उत्पादन लागत में भारी कटौती कर सकते हैं। पूंजीवादी मालिकों के लिए, गिग मज़दूरों को कोई भी ऐसी सुविधाएं मुहैया कराने की आवश्यकता नहीं है, जो नियमित मज़दूरों को क़ानूनन अधिकार बतौर मुहैया कराने पड़ते हैं – जैसे कि बीमारी के लिए अवकाश, मातृत्व और शिशु पालन अवकाश, ई.एस.आई.सी. के रूप में स्वास्थ्य बीमा व सुविधाएं, आदि। पूंजीपतियों को, गिग मज़दूरों को क़ानून के अनुसार न्यूनतम वेतन या ओवरटाइम नहीं देना पड़ता है। उन्हें मज़दूरों के प्रशिक्षण पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें मज़दूरों को कार्यालय स्थान, उपकरण और बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें मज़दूरों को काम से संबंधित खर्चों, जैसे यात्रा लागत, इंटरनेट और मोबाइल फोन का खर्च, काम पर होने वाली दुर्घटनाओं के लिए मुआवज़ा, आदि नहीं देना पड़ता है। उन्हें पेंशन या प्रोविडेंट फंड के रूप में, मज़दूरों के लिए सामाजिक–सुरक्षा पर कोई निवेश नहीं करना पड़ता है।

शेष पृष्ठ 3 पर

बाक्स–1 :

गिग मज़दूरों के लिए कोई क़ानूनी अधिकार नहीं

वेतन पर संहिता, औद्योगिक संबंधों पर संहिता और कार्य स्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य पर संहिता में गिग मज़दूरों का कोई उल्लेख नहीं है। गिग मज़दूरों को इन संहिताओं से मिलने वाली महत्वपूर्ण सुविधाओं, फ़ायदों और सुरक्षा – जैसे कि न्यूनतम वेतन, कार्य स्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लाभ तथा ओवरटाइम वेतन – से वंचित रखा गया है। चूंकि उन्हें औद्योगिक संबंधों पर संहिता के तहत, मज़दूर नहीं माना जाता है, इसलिए वे जो यूनियनें बनाते हैं, उन यूनियनों के सहारे गिग मज़दूर श्रम अदालत में कंपनी के मालिकों के ख़िलाफ़ मुक़दमे दर्ज़ नहीं कर सकते हैं। कंपनी मालिक गिग मज़दूरों द्वारा बनाई गई किसी भी यूनियन के साथ बातचीत करने से इनकार करते हैं। गिग मज़दूर क़ानूनी तौर पर घोषित न्यूनतम वेतन पाने के हक़दार नहीं हैं।

उबर और ज़ोमैटो जैसी कंपनियों ने, न्यूनतम वेतन की मांग करने वाली यूनियनों को चुनौती दी है। कंपनियों का दावा है कि गिग मज़दूरों की रोज़गार की शर्तें स्वाभाविक मालिक–मज़दूर संबंध के दायरे से बाहर हैं।

20 सितंबर, 2021 को इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स (आई.एफ़.ए.टी.) ने गिग मज़दूरों की तरफ़ से, सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि गिग मज़दूरों को 'असंगठित मज़दूर' घोषित किया जाए और अनऑर्गनाइज़्ड वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एक्ट, 2008 (यू.डब्ल्यू.एस.एस. एक्ट) के दायरे में लाया जाए, ताकि असंगठित मज़दूरों को मिलने वाली सामाजिक सुरक्षा के लाभ उन्हें दिए जा सकें।

याचिका में तर्क़ दिया गया है कि गिग मज़दूरों को यू.डब्ल्यू.एस.एस. एक्ट में 'असंगठित मज़दूरों' या 'वेतन भोगी मजदूरों' की श्रेणी से बाहर रखना, यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। इसके अलावा, यह तर्क़ भी दिया गया है कि संविधान के अनुच्छेद–23 के अनुसार, इस तरह के सामाजिक लाभों से गिग मज़दूरों को वंचित करना, ज़बरदस्ती से किये गए श्रम के शोषण के बराबर है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस याचिका पर दिसंबर 2021 में जवाब मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक इसका कोई जवाब नहीं दर्ज़ किया है। इस याचिका पर इसके आगे कोई सुनवाई भी नहीं हुई है।

संसद द्वारा पारित की गई चार नई श्रम संहिताओं में, सिर्फ़ सामाजिक सुरक्षा संहिता में ही गिग मज़दूरों का उल्लेख किया गया है। इस संहिता में गिग मज़दूरों के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने की बात की गयी है, जिसमें गिग मज़दूरों के मालिकों को योगदान देना होगा। इन योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सभी गिग मज़दूरों का पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। संसद द्वारा पारित किए जाने के तीन साल बाद भी केंद्र सरकार ने इस संहिताओं को लागू करने के नियम नहीं बनाए हैं।

सरकार द्वारा जारी मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2020, जिसमें राइड–शेयरिंग कंपनियों के ड्राइवरों के काम करने की हालतों को विनियमित करने के लिए कुछ प्रावधान शामिल हैं, वह भी ज़मीनी तौर पर लागू होने की प्रतीक्षा कर रहा है।

गिग मज़दूर ...

पृष्ठ 2 का शेष

गिग इकॉनमी में, पूंजीपतियों को जब–जब मज़दूरों की सेवाओं की ज़रूरत होती है, तब–तब वे मज़दूरों के साथ अस्थायी अनुबंध बना सकते हैं। कंपनी द्वारा मज़दूरों को निश्चित वेतन पर पूरे समय के लिए, काम पर रखने की ज़रूरत नहीं होती है।

हमारे देश में बेरोज़गारी की गंभीर हालतों में, पूंजीपति मालिक मज़दूरों का अधिकतम शोषण कर सकते हैं। गिग मज़दूरों को कम वेतन पर, लंबे समय तक काम करने और काम करने की अमानवीय परिस्थितियों को स्वीकार करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, क्योंकि अगर वे इन्हें स्वीकार करने से इनकार करते हैं, तो उन्हें बाहर निकाला जा सकता है और उनकी जगह लेने के लिए हजारों और मज़दूर मिल सकते हैं। **(देखिये बाक्स–2 : गिग मज़दूरों द्वारा विरोध)**

गिग मज़दूरों के सामने समस्याएं

रोज़गार की असुरक्षा, स्थाई नौकरी और पर्याप्त आमदनी न होना, यह गिग मज़दूरों के सामने सबसे बड़ी समस्या है।

(देखिये बाक्स–3 : इंसेंटिव, जो पहले दिए गए और बाद में कैब ड्राइवरों से वापस लिए गये, देखिये बाक्स–4 : क़ानूनी न्यूनतम वेतन की तुलना में गिग मज़दूरों की आमदनी)

गिग मज़दूरों के काम के घंटे निश्चित नहीं होते हैं। उनके काम के घंटे अक्सर दिन में 12–14 घंटे से अधिक हो जाते हैं। इससे उनका स्वास्थ्य, पारिवारिक और सामाजिक जीवन प्रभावित होता है।

डिलीवरी सेवाओं से जुड़े गिग मज़दूरों पर, कम से कम समय में डिलीवरी देने और एक निश्चित समय में डिलीवरियों की संख्या को अधिकतम करने का दबाव होता है। नतीजतन, वे सड़क दुर्घटनाओं का शिकार बनते हैं जो कभी–कभी घातक हो सकती हैं। उबर और ओला जैसी कैब एग्रीगेटर कंपनियों के मज़दूरों पर, एक निश्चित समय में सफ़र कराये गए सवारियों की संख्या को अधिकतम करने का दबाव होता है, जिससे उनके सड़क दुर्घटनाओं के शिकार होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

कैब चलाने और माल डिलीवरी करने वाले गिग मज़दूरों के पास अपना वाहन होना आवश्यक होता है। इसलिए मज़दूरों को वाहन खरीदने के लिए क़र्ज़ा लेना पड़ता है। नौकरी की असुरक्षा को देखते हुए, समय पर क़र्ज़े की किश्त चुकाना, उन पर एक अतिरिक्त बोझ बन जाता है।

निष्कर्ष

पूंजीपति वर्ग के प्रवक्ता गिग इकॉनमी को बढ़ती बेरोज़गारी की समस्या का "अभिनव" समाधान बताकर, उसे बढ़ावा देते हैं। वे कहते हैं कि नौजवान गिग मज़दूरी को पसंद करते हैं क्योंकि गिग मज़दूरों को काम की शर्तों के मामले में अधिक "लचीलापन" मिलता है।

यह सच नहीं है। गिग मज़दूरों के काम के असाइनमेंट और काम की हालतें, पूरी तरह से कंपनी प्लेटफॉर्म द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले कंप्यूटर अल्गोरिथम के द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ये अल्गोरिथम उनके काम के घंटे, वेतन आदि निर्धारित करते हैं और इनके ज़रिये उनके काम करने के तरीक़े को ट्रैक किया जाता है। यदि मज़दूर इनका विरोध करते हैं, तो उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पर, लाइन में लगे और मज़दूरों को रख लिया जाता है। नौजवान इस गिग इकोनॉमी में शामिल होने के लिए सिर्फ़ इसलिए मजबूर हैं क्योंकि उनके पास रोज़गार के कोई अन्य अवसर नहीं हैं। वास्तव में, गिग इकॉनमी में पूंजीपतियों को ही मज़दूरों को काम पर रखने और निकालने में बहुत अधिक "लचीलापन" प्राप्त होता है।

गिग इकोनॉमी पूंजीपतियों को, मज़दूरों को कम से कम वेतन देकर, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालने की क्षमता देता है। यह बढ़ते पूंजीवादी शोषण के अलावा और कुछ नहीं है। गिग मज़दूर बस एक गुलाम है, उन सभी अधिकारों से पूरी तरह से वंचित है, जिनके लिए दुनियाभर के मज़दूरों ने और हमारे देश के मज़दूरों ने सौ से अधिक सालों तक संघर्ष किये हैं।

ट्रेड यूनियनों ने सरकार से मांग की है कि गिग मज़दूरों को सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन के साथ–साथ, नियमित मज़दूरों की तरह सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभ भी देना, सभी पूंजीपति मालिकों के लिए क़ानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया जाये।

जैसे–जैसे नौजवानों की बढ़ती संख्या को गिग इकॉनमी में काम करने को मजबूर किया जाता है, वैसे–वैसे ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों के लिए यह अत्यंत ज़रूरी हो जाता है कि इन मज़दूरों के लिए भी काम के निश्चित घंटे, न्यूनतम वेतन, नौकरियों की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, संगठित होने के अधिकार और उनकी शिकायतों के निवारण के साधन, जैसे बुनियादी अधिकारों के लिए संघर्ष को तेज़ किया जाये। गिग मज़दूरों को बाकी मज़दूर वर्ग और सभी उत्पीड़ितों के साथ एकजुट होकर संघर्ष करना होगा, ताकि पूंजीवादी शोषण की मौजूदा व्यवस्था को ख़त्म किया जाये और उसकी जगह पर एक ऐसी नई व्यवस्था का निर्माण किया जाये, जो सभी के लिए रोज़ी–रोटी की सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन जीने की हालतें सुनिश्चित करेगी।

http://hindi.cgpi.org/23611

बदलाव का भ्रम

पृष्ठ 1 का शेष

ही चुनाव जीते। मेहनतकश जनता के बीच व्यापक असंतोष और कर्नाटक में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार के ख़िलाफ़ बढ़ते गुस्से को देखते हुए, इजारेदार पूंजीपतियों ने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने और इन चुनावों में उसकी जीत सुनिश्चित करने का फ़ैसला किया।

समय की मांग है कि सभी राजनीतिक पार्टियां और मज़दूरों व किसानों के जनसंगठन किसी न किसी बुर्जुआ पार्टी के पीछे–पीछे चलने के रास्ते को नकार दें। पूंजीवादी शासन की मौजूदा व्यवस्था के भीतर ही अपनी समस्याओं का समाधान खोजने को लेकर फैलाये गये सभी भ्रमों को हमें तोड़ना होगा। हमें खुद के स्वतंत्र क्रांतिकारी कार्यक्रम के इर्द–गिर्द एकजुट होना होगा, जिसका उद्देश्य होगा पूंजीवादी शासन को मज़दूरों और किसानों के शासन से बदलना। तभी पूंजीवादी लालच को पूरा करने वाली अर्थव्यवस्था की दिशा को बदलकर, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में उन्मुख किया जा सकेगा।

http://hindi.cgpi.org/23579

बाक्स–2 :

गिग मज़दूरों के विरोध प्रदर्शन

ब्लिंकिट (जिसका मालिक ज़ोमैटो है) के डिलीवरी मज़दूरों ने इस साल 12 अप्रैल को, कंपनी द्वारा उनके डिलीवरी भत्ते के भुगतान में कटौती किये जाने के मुद्दे को लेकर हड़ताल की थी। हड़ताल तब शुरू हुई जब ब्लिंकिट ने डिलीवरी मज़दूरों के लिए अपनी नई भुगतान संरचना शुरू की, जिसके तहत, प्रति डिलीवरी न्यूनतम भुगतान 25 रुपये से घटाकर 15 रुपये कर दिया गया। संशोधित संरचना में, ऑर्डर को डिलीवर करने के लिए तय की गई दूरी के अनुसार, इंसेंटिव दिए जाने का भी प्रावधान है, जिस नीति को आम तौर पर 'प्रयास' आधारित वेतन कहा जाता है। इसका यह नतीजा हुआ है कि ब्लिंकिट डिलीवरी मज़दूरों को अब प्रतिदिन 1,200 रुपये के मुक़ाबले केवल 600–700 रुपये का वेतन मिलेगा।

हड़ताल के जवाब में जोमैटो ने उन दुकानों को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया, जिनमें विरोध करने वाले मज़दूर काम कर रहे थे। उन मज़दूरों को बर्ख़ास्त कर दिया गया। दो सप्ताह से भी कम समय में, नए डिलीवरी मज़दूरों के साथ, सभी स्टोर फिर से खुल गए। ज़ोमैटो ने दावा किया कि हड़ताल का कंपनी के राजस्व पर एक प्रतिशत से भी कम असर पड़ेगा!

हाल के वर्षों में, गिग मज़दूरों ने सभी समान परिस्थितियों में काम करने वाले अन्य मज़दूरों से जुड़ने और उनकी आम मांगों और चिंताओं के इर्द–गिर्द एकता बनाने के लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। कैब ड्राइवरों, डिलीवरी मज़दूरों और कुछ अन्य सेवाओं से जुड़े गिग मज़दूरों के संगठन अपनी सदस्यता बढ़ाने और अपनी आम मांगों को लेकर अपनी आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं।

हाल ही में, गृह–सेवा देने वाली कंपनी, अर्बन कंपनी द्वारा काम पर लगायी गयी महिला मज़दूरों ने कंपनी की नई नीतियों का विरोध किया, जो उन्हें, उनके न चाहते हुए भी, हर महीने, एक निश्चित संख्या में काम उठाने को मजबूर करती हैं। इसी तरह, डंज़ो, स्विगी और ज़ोमैटो जैसी डिलीवरी सेवाओं के डिलीवरी मज़दूर भी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन कंपनियों की नाजायज़ वेतन संरचना का सक्रिय रूप से पर्दाफ़ाश कर रहे हैं।

बाक्स–3

इंसेंटिव, जो पहले दिए गए और बाद में कैब ड्राइवरों से वापस लिए गये

अपने शुरुआती दिनों में, उबर और ओला जैसी कंपनियां, मज़दूरों को तरह–तरह से लुभाकर, बाज़ार पर अपना कब्ज़ा करना चाहती थीं। ड्राइवरों से वादा किया गया था कि वे एक महीने में 1 लाख रुपये तक कमा सकते हैं। कई लोगों ने खेती की ज़मीन को बेचकर या अपनी ज़िंदगीभर की बचत को लगाकर कार ख़रीदी।

"शुरुआत में 10 ट्रिप पूरी करने पर 3,000 रुपये का इंसेंटिव देने का वादा किया गया था। तब एक ड्राइवर एक दिन में लगभग 4,000–5,000 रुपये कमा लेता था। उसके बाद, कंपनी ने एक न्यूनतम व्यापार गारंटी योजना शुरू की, जिसके तहत एक ड्राइवर को यात्रा के निश्चित घंटों को पूरा करने के बाद एक निश्चित रकम दिए जाने का वादा किया गया था। उसके बाद इस योजना को फिर से बदला गया और ड्राईवर को यात्राओं की एक निश्चित संख्या पूरी करने के लिए बोला गया। कंपनी ने कहा कि अगर ड्राइवर इतनी यात्राओं से एक निश्चित रकम नहीं प्राप्त कर सकेगा तो कंपनी बक़ाया राशि की भरपाई करेगी। फिर ये कंपनिया, 3,000 रुपये कमाने के लिए बेंगलुरु जैसे शहर में प्रतिदिन 20 यात्राएं पूरी करने के जैसी बिल्कुल असंभव योजनायें लाई। जब वे लगभग पूरे बाज़ार पर क़ब्ज़ा करने में क़ामयाब हो गए, तो उन्होंने कहा कि वे अब कोई इंसेंटिव नहीं देंगे", ऐसा ओला–उबर ड्राइवर्स एंड ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया।

जब ग्राहकों को वातानुकूलित कार की सवारी और रियायती किराए की आदत पड़ गई, तो ग्राहकों को लुभाने पर खर्च किए गए पैसे की भरपाई सर्ज–प्राइसिंग (बढ़ती मांग के साथ बढ़ता किराया) से की गई। मज़दूरों के इंसेंटिव ख़त्म कर दिये गए।

बाक्स–4 :

क़ानूनी न्यूनतम वेतन की तुलना में गिग–मज़दूरों की आमदनी

21 अप्रैल, 2023 को दिल्ली सरकार की नवीनतम घोषणा के अनुसार, कुशल मज़दूरों का मासिक वेतन 20,903 रुपए है, जबकि अर्ध कुशल मज़दूरों का मासिक वेतन 18,993 रुपए है।

इसकी तुलना में, किसी डिलीवरी मज़दूर की औसत आमदनी 10,383–18,000 रुपए प्रति माह है। उबर और ओला टैक्सी–ड्राइवरों की औसत आमदनी एक वर्ष में 2 लाख से 3 लाख रुपए तक होती है, यानी लगभग 16,000–25,000 रुपए प्रति माह। हाल के वर्षों में कई डिलीवरी मज़दूरों और टैक्सी ड्राईवरों की औसत आमदनी कम होती जा रही है।

महाराष्ट्र में पेट्रोलियम रिफाइनरी परियोजना के विरोध में प्रदर्शन

महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के लोग, बरसू सलगांव रिफाइनरी की प्रस्तावित परियोजना का विरोध कर रहे हैं, परियोजना की वजह से वे बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। सभी गांवों के लोग इस परियोजना का विरोध इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि यह परियोजना हजारों स्थानीय लोगों की आजीविका पर, सीधे–सीधे और तुरंत, बहुत ही क्रूर प्रभाव डालेगी। इससे उनकी ज़मीन और रोज़ी–रोटी छिन जाएंगे। इस परियोजना से कोंकण क्षेत्र के पर्यावरण के लिए भी एक गंभीर ख़तरा पैदा हो जायेगा।

22 अप्रैल से 8 गांवों की 32 ग्राम सभाओं के निवासी, इस परियोजना का विरोध कर रहे हैं। वे भूमि अधिग्रहण के लिए सर्वेक्षण करने और परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिये, महाराष्ट्र सरकार द्वारा किये गये कई प्रयासों का लगातार विरोध करते आ रहे हैं, लोगों के लगातार विरोध के बावजूद, सरकार ने जून 2022 से ऐसे कई प्रयास किए हैं। सरकार का सबसे नवीनतम प्रयास है, इस भूमि की मिट्टी का सर्वेक्षण करना।

भूमि के योजनाबद्ध सर्वेक्षण के ख़िलाफ़ प्रदर्शनकारियों ने 24 अप्रैल को सड़कों पर उतरकर अपना विरोध प्रकट किया था। जवाबी कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने पुलिस की तैनाती बढ़ा दी है। स्थानीय प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता (सी.आर.पी.सी.) की धारा 144 को लागू करके लोगों को विरोध स्थल पर इकट्ठा होने से रोक दिया है। विरोध प्रदर्शन से संबंधित कोई भी टेक्स्ट संदेश, तस्वीर या वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से लोगों को रोका गया है। उन्हें धमकी दी गई है कि इस आदेश का किसी भी प्रकार से उल्लंघन करने वाले पर आई.पी.सी. की धारा 188 के तहत मुक़दमा चलाया जाएगा।

इन पाबंदियों की परवाह किये बिना, प्रदर्शनकारियों ने जब एकजुट होकर सरकार के ख़िलाफ़ नारेबाज़ी की तो पुलिस ने उन पर बेरहमी से हमला किया। जिले के विभिन्न हिस्सों में, 100 से अधिक प्रदर्शनकारियों को पीटा गया, जिनमें मुख्य रूप से महिलायें शामिल हैं, बाद में उन्हें एक दिन के लिए जेल में बंद कर दिया गया। पुलिस ने चार प्रदर्शनकारियों को गिरफ़्तार कर लिया है और 45 स्थानीय निवासियों को रत्नागिरी जिले में प्रवेश करने से रोकने के लिये उनके ख़िलाफ़ प्रतिबंधात्मक नोटिस जारी किया गया है। धरना स्थल से क़रीब एक किलोमीटर तक की दूरी तक लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी गई है।

2011 की जनगणना के अनुसार, इन गांवों की कुल आबादी लगभग 8,000 है। उन लोगों को चुप कराने के लिए, महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से लाए गए 2,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को वहां तैनात किया गया है!

दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल लोकेशन रिफाइनरी परियोजना के रूप में प्रचारित की जा रही यह परियोजना, सऊदी अरामको और अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी का एक संयुक्त उपक्रम है, जिसमें उनके 50 प्रतिशत शेयर हैं। बाकी के 50 प्रतिशत शेयर हिन्दोस्तान की कंपनियों, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) के साथ–साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.) के पास हैं। इस परियोजना पर क़रीब तीन लाख करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। 15,000 एकड़ भूमि पर फैली इस परियोजना की उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष छः करोड़ टन होगी।

परियोजना के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए गठित की गई संघर्ष समिति ने महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के साथ मुलाक़ात करने की मांग बार–बार की है, लेकिन उन्हें इसका कोई जबाब नहीं मिला है।

2015 में भाजपा और शिवसेना की तत्कालीन गठबंधन सरकार द्वारा रत्नागिरी जिले के नानार के आसपास के क्षेत्र में इसी तरह की एक रिफाइनरी प्रस्तावित की गई थी। इस क्षेत्र के हजारों लोगों ने उस समय भी जुझारू संघर्ष किया था, जिसकी वजह से उस समय की तत्कालीन सरकार को 2019 में उस परियोजना को अंततः रद्द करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस परियोजना की पहचान कोंकण क्षेत्र के पर्यावरण के लिए हानिकारक होने के रूप में की गई थी। उसी परियोजना को 2022 में बारसू क्षेत्र में लगाने की योजना बनायी गयी है, जो कि नानार से सिर्फ 20 किमी की दूरी पर है, अब इसे एक 'हरित परियोजना' की तरह पेश किया जा रहा है। लोग सवाल उठा रहे हैं कि जब परियोजना के बारे में और कुछ भी नहीं बदला है तो परियोजना का वर्गीकरण (अब वह हरित परियोजना हो गयी) कैसे बदल गया।

हमेशा की तरह परियोजना को पर्यावरण के अनुकूल बताने के लिए, सरकार ज़ोर देकर कह रही है कि यह एक "हरित रिफाइनरी परियोजना" है। हालांकि, लोगों ने कई उदाहरणों जैसे कि लोटे परशुराम रासायनिक क्षेत्र (जो कि रत्नागिरी जिले में ही है), अंबरनाथ और बोईसर (दोनों मुंबई के पास हैं), साथ ही तमिलनाडु में दाहेज और मनाली का हवाला दिया है। इन उदाहरणों के ज़रिये वे लोग इस हक़ीक़त की ओर इशारा कर रहे हैं कि विभिन्न रासायनिक कारख़ानों को शुरू करने के बाद से कैसे इन क्षेत्रों में वहां के पूरे पर्यावरण – भूमि, हवा और पानी को पूरी तरह से प्रदूषित कर दिया गया है। लोग बता रहे हैं कि स्वयं महाराष्ट्र सरकार ने ही पूरे कोंकण क्षेत्र को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया हुआ है, इसलिए इस क्षेत्र में किसी भी प्रदूषणकारी उद्योग को लगाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। लोगों को किसी भी सरकारी प्रदूषण नियामक तंत्र पर भरोसा नहीं है।

परियोजना के विरोध को तोड़ने और गुमराह करने के लिये, विभिन्न सरकारी अधिकारी और मंत्री घोषणा कर रहे हैं कि यदि इस क्षेत्र में रिफाइनरी लगाई जाती है तो यहां स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि भी खोले जायेंगे। जिससे वहां रहने वाले लोगों को लाभ होगा। लोगों ने बहुत ही गुस्से से, इस चाल को एक ब्लैकमेल करने वाली चाल बताकर इसकी निंदा की है और वे कह रहे हैं कि सरकार बिना किसी शर्त के पूरे कोंकण क्षेत्र के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, स्वच्छता आदि सुनिश्चित करने की अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करे और रिफाइनरी लगाने को जायज़ ठहराने के लिए, इसे एक प्रलोभन के रूप में इस्तेमाल न करे।

मीडिया में यह बताया जा रहा है कि उपमुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस क्षेत्र के अधिकांश लोग रिफाइनरी के समर्थन में हैं, जबकि बाहर से आये हुए "कुछ उपद्रवी" इसका विरोध कर रहे हैं। संघर्ष समिति ने इस झूठ का पर्दाफ़ाश करते हुये बताया है कि इस क्षेत्र की 5 ग्राम पंचायतों में हुई गांवों की सभाओं ने न केवल रिफाइनरी के ख़िलाफ़ ही बल्कि इस क्षेत्र में किसी भी सर्वेक्षण की अनुमति देने से इनकार करने वाला एक प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया है। वे लोग मुख्यमंत्री को बारसू क्षेत्र के सभी संबंधित लोगों की उपस्थिति में खुली जनसभा करने की चुनौती दे रहे हैं, ताकि उनकी सच्ची भावनाओं को जाना जा सके।

इस क्षेत्र के हजारों निवासियों द्वारा किये जा रहे दृढ़ और जुझारू विरोध संघर्ष तथा देशभर के न्यायपसंद लोगों से मिल रहे समर्थन ने शासक वर्ग की विभिन्न राजनीतिक पार्टियों को लोगों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करने के लिए मजबूर किया है। विरोध करने वाले लोगों ने इस हक़ीक़त को भी उजागर किया है कि इनमें से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने कोंकण क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की स्थापना को लेकर अब तक स्पष्ट रूप से विरोध नहीं प्रकट किया है।

अपने अधिकारों की रक्षा और पर्यावरण की रक्षा के लिए कोंकण क्षेत्र के लोगों का संघर्ष, पूरे देश में चल रहे कई और संघर्षों की तरह ही एक तरफ़ शासक पूंजीपति वर्ग और दूसरी तरफ़ जनता के बीच का संघर्ष है। पूंजीपति वर्ग का एकमात्र उद्देश्य है लोगों की आजीविका और पर्यावरण के अपरिवर्तनीय विनाश की क़ीमत पर निजी पूंजीपतियों के मुनाफ़ों को अधिकतम करना। दूसरी तरफ़ आम लोग एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण और प्राकृतिक संपदा का पोषण करते हुए उनकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करेगी।

http://hindi.cgpi.org/23572

पाठकों की प्रतिक्रिया

1857 से कुछ सबक

संपादक महोदय,

मज़दूर एकता लहर द्वारा प्रकाशित "हम हैं इसके मालिक हिन्दोस्तान हमारा! 1857 के महान ग़दर की यह पुकार अभी तक साकार नहीं हुई है" लेख आज के नज़रिए से प्रासंगिक है। यह लेख हिन्दोस्तान के मज़दूर वर्ग के लगभग 300 वर्षों का कालखंड दिखाता है जिसमें 1857 के पूर्व और पश्चात के दृश्य समाहित किए गए हैं। लेख में उल्लेखित कुछ विषयों पर बात करना ज़रूरी समझती हूं।

1857 के गौरवशाली इतिहास को अंग्रेज़ी सल्तनत ने दबा रखा था। हुक्मरानों के चेहरों के रंग ज़रूर बदले परंतु उन्होंने भी इस इतिहास को दबाना ज़रूरी समझा। इतने विशाल विप्लव, संयोजन और नियोजन से उभरे सबक को आज का हुक्मरान वर्ग शोषित जनता तक नहीं पहुंचने देना चाहता है क्योंकि उसे भी उतना ही ख़ौफ़ है, जितना अंग्रेज हुक्मरानों को उस वक्त था। समाज में व्याप्त प्रचारित सारे भेदभावों से ऊपर उठकर पूरे देश की जनता ने एक मक़सद को लेकर खुद समाज का मालिक बनने की सोच से प्रेरित होकर अंग्रेजी हुक्मरान के प्रति धावा बोला था। आज के हिन्दोस्तानी हुक्मरान मज़दूरों के मालिक बनने की सोच को फिर से दोबारा नहीं पनपने देना चाहते हैं और वह खुद उससे उतने ही ख़ौफ़ज़दा हैं, जितना कि अंग्रेजी हुक्मरान थे। यही एक मात्र कारण है कि आज उन नायकों की पूजा की जाती है। उन्हे हार मालाएं भी पहनाई जाती हैं, परंतु उनके क्रांतिकारी विचारों को छिपाया जाता है। नायकों को जगह देने का मक़सद भी सिर्फ़ इतना ही है कि वे सामान्य लोगों की आंखों में भ्रमजाल पैदा करें। उन्हें लोगों का साथ मिले, परंतु उनकी हुकूमत को कोई ख़तरा भी न हो।

एक और बात है कि "वेस्ट मिनस्टर मॉडल" का जिक्र जब आता है, तब उसे लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ बतौर चित्रित करके पेश किया जाता है। सवाल यह है कि क्या वह वाकई सच्चा लोकतंत्र है, जिसने देश की संपूर्ण जनता को उत्साहित किया है? क्या उनके जीवन में आमूल बदलाव हुए हैं, उनकी चेतना, उनके ज़मीर के हक़ को सम्मान दिया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और तमाम बुनियादी जनसुविधाओं को सभी दबे–कुचले शोषित पीड़ित लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है या सिर्फ चंद मुट्ठीभर लोगों की जेबों और उनकी शहंशाहियत के लिए ही उसका निर्माण हुआ है? हिन्दोस्तान और विश्व के और भी कई देशों में ऐसे कई बदलाव हुए हैं जब देश की जनता ने सारे भेदभावों से ऊपर आकर सत्ता के तख़्त को पलटा है और नई बुनियादों के साथ नए समाज की रचना की है। लेख में उल्लेखित 'कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेसन' भी उसका ही एक सबूत है सभी तबकों, दबे–कुचले शोषित पीड़ितों की आवाज़ को मौका देने का। उन्हें समाज के निर्णायक फ़ैसलों में शामिल करने का। यह सब प्रयास हमारे शहीदों, हमारे पुरखों ने कर दिखाये हैं। उन गौरवशाली प्रयोगों को ज़रूर ख़त्म किया गया है, परंतु वे आज भी उतने ही प्रासंगिक और अनिवार्य हैं। हम सभी उसी गौरवशाली परंपरा की विरासत हैं और हमारा फौरी कर्तव्य है कि हम भी मज़दूर वर्ग के सच्चे सिपाही बनें और सारे भेदभावों से ऊपर उठकर हिन्दोस्तान के मालिक बनने की ओर अग्रसर हों।

धन्यवाद!

शालिनी, मुंबई

मज़दूर एकता लहर (इंटरनेट संस्करण)

हिन्दी : hindi.cgpi.org, **अंग्रेजी** : www.cgpi.org, **मराठी** : marathi.cgpi.org

पंजाबी : punjabi.cgpi.org, **तामिल** : tamil.cgpi.org

ई मेल : mazdoorektalehar@gmail.com, Ph.09868811998, 09810167911

19 मई को महिला संगठनों ने पहलवानों के लिए न्याय की मांग की

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

19 मई को महिला संगठनों ने प्रदर्शनकारी पहलवानों के समर्थन में संसद मार्ग से जंतर–मंतर तक एक संयुक्त जुलूस आयोजित किया। जिसका समापन विरोध स्थल पर पहुंचकर एक सभा के रूप में हुआ, जहां सैकड़ों नौजवानों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष, पहलवानों के साथ अपनी एकजुटता प्रकट करने के लिए इकट्ठा हुए थे।

जुलूस और सभा का आयोजन पुरोगामी महिला संगठन, आल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमन एसोसियेशन (ए.आई.डब्ल्यू.यू.डी.ए.) दिल्ली, आल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन (ए.आई.एम.एस.एस.), अनहद, सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमन (सी.एस.डब्ल्यू.), नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमन (एन.एफ.आई.डब्ल्यू.) दिल्ली, प्रगतिशील महिला संगठन दिल्ली, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (पी.यू.सी.एल.) दिल्ली, सहेली, वुमन रिसोर्स सेंटर और इंडियन क्रिस्चन मूवमेंट दिल्ली द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।

प्रदर्शन में शामिल संगठनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के ख़िलाफ़ तत्काल कार्रवाई करने की मांग की। वक्ताओं ने बताया कि पहलवानों ने उन पर आरोप लगाया है कि उन्होंने नाबालिग लड़कियों का बार–बार यौन शोषण किया व अन्य प्रकार से हिंसा की। वक्ताओं ने पुलिस की निंदा करते हुये कहा कि पुलिस ने शुरू में आरोपियों के ख़िलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज़ करने से इनकार किया, इसलिये पहलवानों को मजबूर होकर सर्वोच्च अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। प्रदर्शनकारी पहलवानों पर शारीरिक हमला करने और उन्हें डराने–धमकाने के लिए पुलिस और अधिकारियों की उन्होंने कड़ी आलोचना की।

वक्ताओं ने सत्ता के पदों पर बैठे लोगों द्वारा बार–बार किये जाने वाले यौन उत्पीड़न और महिलाओं पर हिंसा के अन्य रूपों की ओर ध्यान आकर्षित किया। महिलाएं सिर्फ़ खेल में ही नहीं, सभी क्षेत्रों में हैं और अपने काम के दौरान

तथा सार्वजनिक स्थानों पर विभिन्न प्रकार के यौन शोषण और यातना को चुपचाप स्वीकार करने के लिए मजबूर हैं। अदालतों और न्यायपालिका सहित हिन्दोस्तानी राज्य और इसके संस्थान महिलाओं के अधिकारों और उनके सम्मान की रक्षा नहीं करते हैं। वे बलात्कार और यौन हिंसा की शिकार महिलाओं की दुर्दशा के प्रति क्रूर रूप से असंवेदनशील हैं। अधिकतर मामलों में अपराधियों को छूट दी जाती है, जबकि पीड़ितों को दोषी ठहराया जाता है और उनके ख़िलाफ़ हुये अपराधों के सबूत देने के लिए मजबूर किया जाता है!

वक्ताओं ने कहा कि इन परिस्थितियों में पहलवानों द्वारा इतनी विषम परिस्थितियों के ख़िलाफ़ जो साहसिक संघर्ष किया जा रहा है, वह समाज की सभी महिलाओं और सभी दबे–कुचले लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने संघर्षरत पहलवानों को अपना पूरा समर्थन देने का वादा किया और पूरे देश में महिलाओं और पुरुषों से उनके समर्थन में सड़कों पर आने का आह्वान किया।

नौजवानों ने पहलवानों के संघर्ष के समर्थन में जुझारू गीत गाए। कार्यकर्ताओं ने पहलवानों के साहस की सराहना करते हुए कविताएं प्रस्तुत कीं। हमारे समाज में महिलाओं पर हो रही हिंसा को दर्शाने वाली और एकता व संघर्ष की राह दिखाने वाली युवतियों द्वारा प्रस्तुत नुक्कड़ नाटक ने बड़ी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया। जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं तब तक पहलवानों के संघर्ष के समर्थन में आगे की कार्रवाई करने के आह्वान के साथ सभा का समापन हुआ।

इस अवसर पर सभी महिला संगठनों द्वारा केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय खेल मंत्री को संबोधित एक संयुक्त ज्ञापन जारी किया गया।

http://hindi.cgpi.org/23623

पहलवानों की जायज़ मांगों के समर्थन में ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन

लंदन से इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट–ब्रिटेन) के संवाददाता की रिपोर्ट

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट–ब्रिटेन) के कार्यकर्ताओं ने 20 मई को शनिवार के दिन, दिल्ली में जंतर–मंतर पर विरोध प्रदर्शन कर रही महिला पहलवानों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करने के लिए लंदन में भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया। आई.डब्ल्यू.ए. के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन में शामिल लोगों को संबोधित किया। उन्होंने मांग की कि हिन्दोस्तान की सरकार दोषियों के ख़िलाफ़ कड़ी कार्रवाई करे।

"दोषियों को सज़ा दो!", "महिला पहलवानों को न्याय दो!", "हिन्दोस्तान की सरकार किसका समर्थन करती है? अपराधियों का!", आदि नारे लगाए गए। हिन्दोस्तानी राज्य के ख़िलाफ़, हिन्दोस्तानी समुदाय के गुस्से से ब्रिटेन गूंज उठा।

विरोध प्रदर्शन में वक्ताओं ने मांग की कि हिन्दोस्तानी राज्य को इस तरह के उत्पीड़न के ख़िलाफ़ महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। प्रदर्शकारी पहलवानों ने अंतरराष्ट्रीय खेल क्षेत्र में देश का नाम ऊंचा करने में योगदान दिया है और अपने शानदार प्रयासों में आगे भी सफल होने के लिए उन्हें राज्य का समर्थन पाने का अधिकार है।

वक्ताओं ने कहा कि हिन्दोस्तानी राज्य टाटा, बिड़ला, अंबानी और अदानी जैसे बड़े कॉर्पोरेट घरानों के हितों को पूरा करता है। भाजपा, कांग्रेस पार्टी और अन्य मुख्यधारा की राजनीतिक पाटियां इन कॉर्पोरेट घरानों द्वारा तय एजेंडे को ईमानदारी से लागू करती हैं। हिन्दोस्तानी राज्य का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वह न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों को गिरफ़्तार, प्रताड़ित और यहां तक कि उनकी हत्या करने और अपराधियों को सज़ा से बचाता रहा है ।

आई.डब्ल्यू.ए. (जीबी) को हिन्दोस्तान में महिला पहलवानों द्वारा छेड़े गए वीरतापूर्ण संघर्ष तथा शोषण और उत्पीड़न के ख़िलाफ़ लड़ने वाली सभी महिलाओं पर गर्व है। हम इस संघर्ष में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। महिला पहलवानों की उचित मांगों के समर्थन में ब्रिटेन में आई.डब्ल्यू.ए. (जीबी) और अन्य प्रगतिशील संगठनों द्वारा और अधिक विरोध प्रदर्शन की कार्रवाइयां आयोजित की जाएंगी।

दोषियों को सज़ा दो!
महिला पहलवानों को न्याय दो!
महिला पहलवानों का संघर्ष ज़िंदाबाद!

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (ग्रेट–ब्रिटेन) का बयान

महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को नज़रंदाज़ करने के लिए हिन्दोस्तानी राज्य की निंदा करें

भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यू.एफ.आई.) के अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश से भाजपा के सांसद भी हैं। महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न करने की उनके ख़िलाफ़ की गई शिकायतों को हिन्दोस्तानी राज्य नज़रंदाज़ कर रहा है। डब्ल्यू.एफ.आई. के अध्यक्ष को उनके पद से हटाने और उनके ख़िलाफ़ मुक़दमा चलाने की मांग को लेकर, ये पहलवान 23 अप्रैल से दिल्ली के जंतर–मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

इस साल जनवरी में पहलवानों द्वारा पुलिस के पास शिकायत किये जाने के बाद भी जब पुलिस ने बृजभूषण के ख़िलाफ़ एफ.आई.आर. दर्ज़ करने से इनकार कर दिया, तब पहलवानों को एफ.आई.आर. दर्ज़ कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। इस मामले में भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा की जा रही जांच की रिपोर्ट को सरकार ने अभी तक सार्वजनिक नहीं किया है। पहलवानों के मुताबिक, उन्होंने बृजभूषण के आचरण के बारे में प्रधानमंत्री और खेल मंत्री से शिकायत की थी। उनकी शिकायत पर कार्रवाई करने का वादा भी किया गया था, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। पुलिस और सरकार की निष्क्रियता से तंग होकर, उन्हें अपना विरोध प्रदर्शन दोबारा से शुरू करना पड़ा है।

पहलवानों ने घोषणा की है कि वे अपना विरोध प्रदर्शन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि बृजभूषण को उनके पद से हटा नहीं दिया जाता और उनके अपराध के लिए गिरफ़्तार नहीं किया जाता।

प्रदर्शन कर रहे पहलवानों के प्रति अधिकारियों का अभी तक क्या रवैया रहा है? एक तरफ़ सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ताओं के नामों का खुलासा नहीं करने के निर्देश जारी किए थे। इन शिकायतकर्ताओं में से एक किशोर भी है। वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के परिवारों को धमकी दी जा रही है और उनसे अपनी शिकायत को वापस लेने के लिए कहा जा रहा है। शिकायतकर्ताओं की पहचान का खुलासा किसने किया? प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन करने के लिए विश्वविद्यालय से आए हुए छात्रों को पांच मिनट के भीतर वहां से हटने के लिए कहा दिया गया। उनसे कहा गया कि वहां धारा 144 लागू है। भारी बारिश की वजह से धरना स्थल पर पानी भर जाने के कारण, प्रदर्शनकारी पहलवानों ने जब फोल्डिंग बेड लाने की कोशिश की तो पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा।

पहलवानों को समाज के सभी तबकों से व्यापक समर्थन मिल रहा है। कई महिला संगठनों ने समर्थन का ऐलान किया है। किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने पहलवानों के समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया और धरना स्थल पर गए। विदेशों में रहने वाले हिन्दोस्तानियों ने यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ महिला पहलवानों द्वारा किये जा रहे विरोध प्रदर्शन के बारे में जनता को बताने के लिये वीडियो प्रसारित किए हैं।

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वर्तमान भाजपा सरकार, इजारेदार पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। यह सरकार 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' जैसे नारे जारी करती है लेकिन हक़ीक़त में यौन उत्पीड़न की शिक़ायतों की अनदेखी कर रही है।

इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन (जी.बी.), सरकार और खेल मंत्री के इस कठोर रवैये का और अपनी ही पार्टी के सांसद के बचाव में उनके प्रयासों की कड़ी निंदा करती है। इस मामले तुरंत कार्यवाही करके ब्रज भूषण को उनके अपराध के लिए सज़ा दिलवाने की बजाय पुलिस की निष्क्रियता और हिचकिचाहट की हम सब कड़ी निंदा करते हैं। हम महिला खिलाड़ियों को इस तरह परेशान किए जाने के लिए ज़िम्मेदार व्यक्ति को सज़ा दिए जाने की और महिला खिलाड़ियों के लिए न्याय की मांग करते हैं। हम सभी इंसाफ़ पसंद लोगों से आह्वान करते हैं कि वे इस व्यवस्था के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं, जो यौन उत्पीड़न को नज़रंदाज़ कर रही है।

हिन्दोस्तान की पुलिस को डब्ल्यू.एफ.आई. के प्रमुख के ख़िलाफ़ तुरन्त कार्रवाई की जानी चाहिए!
हिन्दोस्तान की सरकार को देश का नाम रोशन करने वाले पहलवानों की गरिमा की रक्षा करनी चाहिए!
महिला पहलवानों को न्याय दो!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

LICENSED TO POST WITHOUT PRE-PAYMENT U (SE)-38/2022-23

Posting Date at DLPSO, 1 & 2 June, 2023, Date of publish - 1 June, 2023

To .....
.....
.....
.....
.....
.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

मज़दूर एकता कमेटी द्वारा पहलवानों के संघर्ष के समर्थन में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का आयोजन

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.) ने 16 से 21 मई के दौरान, दिल्ली के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों, मज़दूरों की रिहायशी कालोनियों के साथ–साथ मेट्रो स्टेशनों पर, सामूहिक विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला आयोजित की।

दक्षिण दिल्ली के ओखला औद्योगिक क्षेत्र के फेज़–1 और 2 के महत्वपूर्ण स्थानों पर हर शाम नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गईं। इन नुक्कड़ सभाओं का आयोजन पहलवानों की मांगों के समर्थन के साथ–साथ कार्यस्थल पर और समाज में महिलाओं के यौन शोषण का विरोध करने के लिए किया गया था। इन सभाओं को देखकर फैक्ट्रियों के सैकड़ों मज़दूर जाते हुए रुके और इनमें शामिल हुए।

19 मई को एक विरोध जुलूस निकाला गया जो कालकाजी बस डिपो से शुरू हुआ और ओखला औद्योगिक क्षेत्र के फेज–2 के अलग–अलग स्थानों, मज़दूरों की रिहायशी कॉलोनियों और हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन से होते हुए, औद्योगिक क्षेत्र के जेड ब्लॉक में एक जनसभा के बदल गया। जुलूस

में भाग लेने वालों के हाथों में एक बड़ा बैनर था और तख्तियां थीं, जिन पर लिखे नारे थे : "महिला पहलवानों पर पुलिस का हमला मुर्दाबाद!", "गुनहगारों को सज़ा दो!", "देश का गौरव बढ़ाने वाली हमारी बेटियों को न्याय दो!", "यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ पहलवानों का संघर्ष ज़िंदाबाद!", "कार्यस्थल पर यौन शोषण मुर्दाबाद!", आदि। उन्होंने पहलवानों की मांगों के समर्थन में और कार्यस्थल सहित सड़कों पर महिलाओं के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ जमकर नारेबाज़ी की।

इस जुलूस का आयोजन मज़दूर एकता कमेटी (एम.ई.सी.), इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस (आई.एफ.टी.यू.), ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस (ए.आई.सी.सी.टी.यू.) और सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। जुलूस के अंत में सभा में शामिल संगठनों के प्रतिनिधियों ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पहलवानों की मांगों के समर्थन में और महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के लिए आवाज़ बुलंद करने का आह्वान किया।

24 और 25 मई को दिल्ली के मदनपुर खादर की पुनर्वास कॉलोनी में नुक्कड़ सभाओं और जुलूस का आयोजन किया गया।

http://hindi.cgpi.org/23581

इंडिया गेट पर कैंडल लाइट जुलूस

मज़दूर एकता कमेटी के संवाददाता की रिपोर्ट

23 मई की शाम को प्रदर्शनकारी पहलवानों के लिए न्याय की मांग को लेकर जंतर–मंतर से इंडिया गेट तक कैंडल लाइट जुलूस निकला गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। जंतर–मंतर पर 23 अप्रैल से शुरू हुए, पहलवानों के विरोध प्रदर्शन के एक महीना होने को चिन्हित करने के लिए, इस जुलूस का आयोजन किया गया।

प्रदर्शनकारियों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि उन्हें अपने पद से हटाया जाए तथा गिरफ़्तार किया जाए और सज़ा दी जाए।

मज़दूरों, किसानों, महिलाओं, छात्रों और नौजवानों के संगठन और सैकड़ों लोग रोज़ाना धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त कर रहे हैं। पहलवानों के लिए न्याय और कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने की मांग को लेकर विशाल रैलियां आयोजित की गई हैं।

23 मई को हुये कैंडल लाइट जुलूस में शामिल लोगों ने अपनी मांगों पर ध्यान दिलाने के लिए तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। प्रदर्शनकारियों के जुझारू नारों और प्रतिरोध के जोशीले गीतों से मध्य दिल्ली में अशोक रोड और राजपथ गूंज रहा था, जो न्याय के लिए संघर्ष जारी रखने के लोगों के संकल्प को उजागर करता है।

http://hindi.cgpi.org/23588

पहलवानों पर क्रूर हमला

पृष्ठ 1 का शेष

में रखा गया। इस सब का स्पष्ट मक़सद था उन्हें अलग–थलग करना, उन्हें डराना, उन्हें एक–दूसरे से समर्थन और शक्ति प्राप्त करने से रोकना और उनके मनोबल को तोड़ना।

इसके तुरंत बाद, पुलिस ने धरना स्थल पर पहलवानों और उनके समर्थकों के लिए लगाए गए टेंट और अस्थायी ढांचों को तोड़ दिया। पहलवानों का सामान हटा दिया गया। पहलवानों का विरोध स्थल, जहां हर रोज़ देशभर से आये समर्थकों की भीड़ लगी रहती थी, उसके हर नाम–निशान को बेरहमी से फाड़ कर गिरा दिया गया।

जैसे ही पहलवानों पर हमले, उन्हें हिरासत में लेने और विरोध स्थल को नष्ट करने की ख़बर फैली, वैसे ही बैरिकेड्स पर जमा हुए संगठनों के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर अपना गुस्सा ज़ाहिर करने के लिए विरोध प्रदर्शन आयोजित किए।

पुरोगामी महिला संगठन, प्रगतिशील महिला संगठन, एन एफ़ आई डब्ल्यू, मज़दूर एकता कमेटी, अनहद, आदि के कार्यकर्ताओं, विभिन्न किसान और युवा कार्यकर्ताओं ने जनपथ मेट्रो स्टेशन पर लगे बैरिकेड्स के सामने एक विरोध रैली का आयोजन किया। रैली के स्थान जंतर–मंतर और उद्घाटित हो रहे नए संसद भवन से सिर्फ कुछ ही दूरी पर था। उस विरोध रैली में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया।

लोगों की आवाज़ को कुचलने पर शासकों से गुस्साए हुए, प्रदर्शनकारियों ने ज़ोर–ज़ोर से नारे लगाए – "महिला पहलवानों को इंसाफ दिलाने के संघर्ष में एकजुट हों!", "महिलाओं पर हिंसा मुर्दाबाद!", "पहलवानों के संघर्ष पर दिल्ली पुलिस का हमला मुर्दाबाद!", "कार्यस्थल पर यौन हिंसा पर रोक लगाओ!", "हमारी रोज़ी–रोटी और अधिकारों पर हमले मुर्दाबाद!", इत्यादि। प्रदर्शनकारियों के हाथों में इन और कई अन्य नारों वाले बैनर और प्लेकार्ड थे। उन्होंने प्रतिरोध के गीत गाए। दो घंटे से अधिक समय तक यह विरोध प्रदर्शन चलता रहा। इसके बाद भी पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों को परेशान करने और हिरासत में लेने की ख़बरें आती रहीं।

किसान संगठन दिल्ली की सीमाओं पर, जहां उन्हें रोक दिया गया था, वहीं इकट्ठे हुए और उन्होंने पहलवानों की मांगों के समर्थन में विरोध रैलियां कीं। उन्होंने महिलाओं के सभी प्रकार के यौन उत्पीड़न के ख़िलाफ़ नारे लगाए और महिलाओं के लिए न्याय की मांग की। उन्होंने लोगों पर शासकों के हमलों की निंदा की और इन हमलों को हराने के लिए एकजुट प्रतिरोध संघर्ष का आह्वान किया। संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके, "सभी लोकतांत्रिक लोगों को विरोध में उठ खड़े होने" का आह्वान किया। विज्ञप्ति में पहलवानों के समर्थन में आने वाले कई किसान कार्यकर्ताओं पर हमलों और गिरफ़्तारी की निंदा की गयी। यह चेतावनी दी गयी कि संघर्ष "तेज़ किया जाएगा और तब तक जारी रहेगा जब तक कि यौन उत्पीड़कों को गिरफ़्तार न किया जाये और उन्हें सज़ा न दी जाये"।

विरोध करने वाले पहलवानों और उनके समर्थकों पर हिन्दोस्तानी राज्य का क्रूर हमला एक बार फिर यह दर्शाता है कि बड़े इजारेदार घरानों की अगुवाई में शासक पूंजीपति वर्ग को देश की आम जनता की समस्याओं को हल करने की कोई चिंता नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे देश के वर्तमान शासक राज करने के क़ाबिल नहीं हैं। पूंजीपतियों के इस अत्याचारी राज की जगह पर, किसानों और सभी उत्पीड़ितों के साथ गठबंधन में, मज़दूर वर्ग के राज की स्थापना करने की सख़्त ज़रूरत है।

http://hindi.cgpi.org/23632